EVM के माइक्रोकंट्रोलर्स का सत्यापन करेगा ECI

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

हाल ही में भारत निर्वाचन आयोग (Election Commission of India-ECI) ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) और वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल (VVPAT) प्रणालियों की **बर्न मेमोरी (या माइक्रोकंट्रोलर्स)** के सत्यापन के लिये मानक संचालन प्रक्रिया (Standard Operating Procedure- SOP) जारी की है।

- एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स बनाम भारत निर्वाचन आयोग वाद, 2024 में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद, निर्वाचन आयोग ने दूसरे और तीसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवारों के लिखित अनुरोध पर विधानसभा तथा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में 5% तक **EVM और VVPAT माइक्रोकंट्रोलरों के सत्यापन की अनुमति** दी है।
- प्रत्येक मशीन पर 1,400 वोट तक का मॉक पोल आयोजित किया जाएगा और यदि परिणाम VVPAT पर्चियों के साथ सुमेलित होते हैं, तो यह संकेत देगा कि **बर्न मेमोरी के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं** की गई है तथा उन्हें सत्यापित माना जाएगा।
  - हालाँकि विसंगतियों से निपटने की प्रक्रिया अभी भी अनिश्चित है।
- तकनीकी SOP इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन बनाने वाली दो सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों (PSUs)- **भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL)** और **इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (ECIL)** द्वारा तैयार की गई थी।

इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM):

- इसमें 2 भाग होते हैं, एक **कंट्रोल यूनिट (CU)** और एक **बैलट यूनिट (BU)**।
  - बैलट यूनिट (BU) मतदाताओं को अपना वोट डालने की अनुमति देती है और उम्मीदवारों तथा उनसे संबंधित प्रतीकों को दर्शाती है, जबकि कंट्रोल यूनिट (CU) बैलट यूनिट का प्रबंधन करती है व डेटा को प्रोसेस करती है।
- पहली बार EVM का उपयोग **वर्ष 1982 में** केरल के पारवूर विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव में किया गया था।

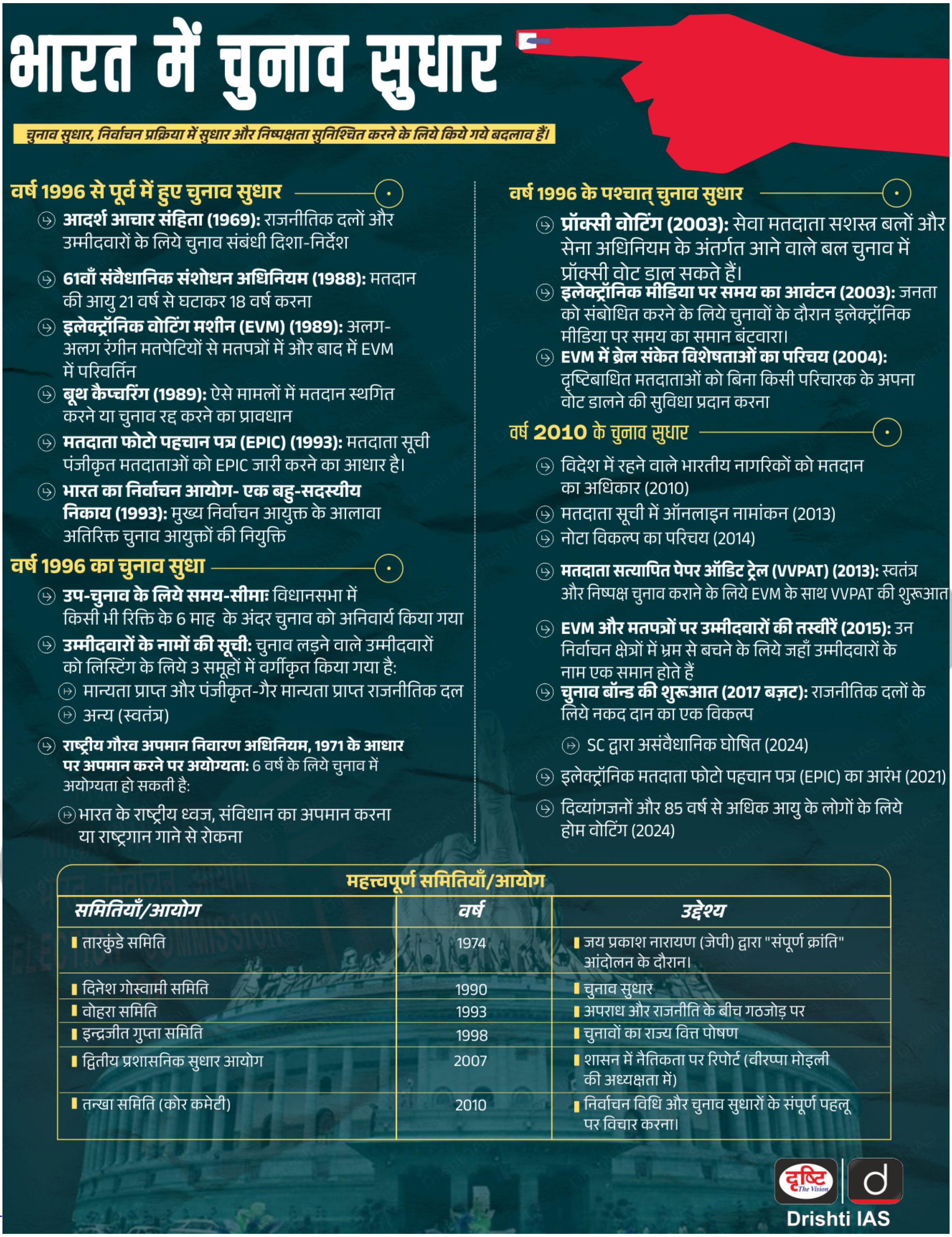

//

और पढ़ें: सर्वोच्च न्यायालय ने EVM तथा VVPAT प्रणाली को सही ठहराया

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/eci-to-verify-microcontrollers-of-evms